R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 1
जुलाई 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना

मार्च 2012 तक तथा उसके बाद क्रमिक रूप से एक अवधि के दौरान सभी गाँवों में 2000 से अधिक आबादी वाले पहचान किए गए 72,800 गाँवों में बैंकिंग सेवाएं लाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कारोबारी संवाददाताओं के उपयोग के अतिरिक्त ग्रामीण केंद्रों में पारंपरिक शाखाएं अधिक संख्या में खोले जाने की जरूरत है।

अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि अपनी वार्षिक विस्तार शाखा योजना (एबीईपी) की तैयारी करते समय उन्हें वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत आबंटन बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में करना चाहिए। किसी बैंक रहित ग्रामीण केंद्र का अर्थ होगा कि कोई ग्रामीण (टीयर 5 टीयर 6) केंद्र वह है जिसके पास ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई पारंपरिक शाखा नहीं है।

रिज़र्व बैंक ने भी यह सूचित किया है कि अब यह अनिवार्य होगा कि टीयर 3 से टीयर 6 में खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या में से कम से कम एक तिहाई शाखाएं कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में खोली जाएं। तदनुसार, टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों में शाखाओं के लिए प्राधिकार अब इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में खोली जाने वाली शाखाओं का कम से कम एक तिहाई शाखाएं कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में खोली जाए के अनुसरण में वर्ष के दौरान खोली जाने वाली शाखाओं की कुल संख्या में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में खाले जाने के लिए प्रस्तावित है।

कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलने की जरूरत को जारी रखने की दृष्टि से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका और अधिक एक-समान स्थानिक वितरण हो, बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, बैंक रहित केंद्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित ग्रामीण शाखाएं जो कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में स्थित हो सकती हैं, को छोड़कर कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों के टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में खाले जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक शाखा के लिए उन्हें किसी टीयर 1 केंद्र में कोई शाखा खोलने हेतु प्राधिकार दिया जाएगा। यह ऊपर निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए दिए जाने वाले प्राधिकार के अतिरिक्त होगा।

यह स्मरण होगा कि घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को दिसंबर 2009 में रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों (49,999 तक की आबादी वाले) में शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई थी। तथापि, रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकार उन टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए अपेक्षित था जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ (i) सामान्य अनुमति के अंतर्गत टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में खोली गई शाखाओं की संख्या; (ii) कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं; तथा (iii) वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा के क्षेत्र में बैंक के कार्यनिष्पादन के आधार पर दिया गया था। यह पाया गया कि औसत आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले दो वर्षों में नई शाखाओं की कुल संख्या का लगभग 20 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण केंद्रों (टीयर 5 और टीयर 6) में खोली थीं।

म्यूचुअल निधियों की योजनाओं में बैंकों का निवेश

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि 1 वर्ष से कम संविभाग की भारित औसत परिपक्वता वाली म्युचुअल निधियों (एमएफ) की नकदी/अल्पावधि ऋण योजनाओं (जिस किसी भी नाम से) में उनके कुल निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनकी निवल आस्ति की 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण सीमा के अधीन होगा। भारित औसत परिपक्वता की गणना कुल निवेश से भारित प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि की औसत के रूप में की जाएगी।

सुगम अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए उन बैंकों को जिन्होंने पहले से ही 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक म्यूचुअल निधियों की इन योजनाओं में निवेश किया है उन्हें 5 जुलाई 2011 से छह महीनों के भीतर निश्चित रूप से उक्त आवश्यकता को पूरा करने की अनुमति दी गई है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाएं खोलना	1
म्यूचुअल निधियों की योजनाओं में बैंकों का निवेश	1
संगामी लेखा परीक्षा	2
फेमा	
संपर्क कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का नियमन	2
विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड	2
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों का निर्गम	3
अनिवासी संस्थाओं के लिए सुरक्षा सुविधा	3
भुगतान प्रणाली	
खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली - संसाधन प्रभार	4

संगामी लेखा परीक्षा

धोखाधड़ियों को रोकने के उद्देश्य से बैंकों को एक प्रणाली लागू करने के लिए कहा गया है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा निम्नलिखित पहलूओं पर जाँच रिपोर्ट देंगे:

(i) जहाँ कहीं भी ऋणों हेतु जमानत के रूप में टाइटल के दस्तावेज़ों को जमा किया जाता है, वहाँ एक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ टाइटल के दस्तावेज़ों की वास्तविकता का सत्यापन किया जाए, विशेष रूप से बड़ी राशियों के ऋणों हेतु। भूमि की जमानत पर लिए गए ऋण के मामले में, बैंकों को ऋण मंजूरी से पहले टाइटल विलेख के संबंध में स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से रिपोर्टों की माँग भी करनी चाहिए।

(ii) जहाँ कहीं भी उधारकर्ता द्वारा सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र, संपत्ति मूल्यांकन प्रमाणपत्र, विधि प्रमाणपत्र, गारंटी/ऋण व्यवस्था या अन्य कोई तृतीय पक्षकार प्रमाणन प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ बैंक को प्रमाणपत्र जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी से सीधे संपर्क करते हुए ऐसे प्रमाणनों की वास्तविकता का सत्यापन स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। अप्रत्यक्ष पुष्टि की भी सहायता ली जा सकती है अर्थात् जारीकर्ता को यह दर्शाना कि एक अमूक समय सीमा तक कोई उत्तर नहीं मिलने पर, यह माना जाएगा कि प्रमाणपत्र वास्तविक है।

(iii) बैंकों को आंतरिक अनुशासन, स्टाफ रोटेशन, जाँचों तथा नियंत्रणों इत्यादि जैसे पहलूओं को सुनिश्चित करना चाहिए।

(iv) ऐसे मामलों में जहाँ यह पुष्टि होती है कि सनदी लेखाकार, वकील, पंजीकृत संपत्ति मूल्यांकनकर्ता या ऐसे तृतीय पक्षकार द्वारा दिया गया प्रमाणन गलत है, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को प्रमाणनकर्ता के संबंध में सभी बैंकों को एक 'सावधानी सूची' जारी करने की एक प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।

बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को सूचित की गई आवास ऋण क्षेत्र के अंतर्गत धोखाधड़ियों सहित बड़ी राशियों की धोखाधड़ियों का अध्ययन किया गया ताकि नियंत्रण व्यवस्था में उन कमियों को समझने में आसानी हो कि जो शाखाएं संगामी लेखा परीक्षा के अधीन होने के बावजूद धोखाधड़ियाँ करवाने में सहायक रही। यह पाया गया कि अधिकांश धोखाधड़ियाँ उधारकर्ताओं द्वारा जमा किए गए उन जाली दस्तावेज़ों के कारण की गई थी, जिन्हें व्यावसायिकों अर्थात् मूल्यांकनकर्ताओं/एडवोकेटो/सनदी लेखाकारों द्वारा प्रमाणित किया गया था।

संगामी लेखा परीक्षकों की ओर से की गई चूक के लिए उत्तरदायी कारण संभवता वित्तीय उत्पादों या लेनदेनों की नई/नवोन्मेषी/जटिल प्रकृति है। इसके अतिरिक्त बैंकों ने लेखा परीक्षा का काम अपने स्वयं के स्टाफ को सौंपा, यह सुनिश्चित किए बिना कि वे उक्त लेखा परीक्षा का काम करने में उचित रूप से प्रशिक्षित है।

फेमा

संपर्क कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का नियमन

विदेशी संस्थाओं जिन्होंने रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना भारत में संपर्क कार्यालयों (एलओ) अथवा शााखा कार्यालयों (बीओ) की स्थापना की है उन्हें भारत में ऐसे कार्यालयों के नियमन के लिए 15 जुलाई 2011 से 90 दिनों की अवधि के भीतर रिज़र्व बैंक को संपर्क करने के लिए कहा गया है। विदेशी संस्थाएं जिन्होंने भारत सरकार की अनुमति से संपर्क कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय की स्थापना की है उन्हें भी अनुमोदन की प्रति के साथ रिज़र्व बैंक का संपर्क करने के लिए कहा गया है ताकि रिज़र्व बैंक उन्हें विशिष्ट पहचान संख्या (यूआइएन) आबंटित कर सके।

ऐसे सभी आवेदनों/अनुरोधों को मुंबई में रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग को एफएनसी फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहिए और जहाँ संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय का खाता रखा जाता है, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय को चलाने वाले उनके संघटकों के पास रिज़र्व बैंक का वैद्य अनुमोदन है और अनुमोदन की प्रति रिकार्ड में रखी गई है।

यह पाया गया था कि 1 जून 2000 से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 लागू होने के बाद भी रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना विदेशी गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), गैर-लाभ संस्थाएं, समाचार एजेंसियाँ और अन्य विदेशी संस्थाओं द्वारा स्थापित कुछ संपर्क कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का भारत में कार्य करना जारी है।

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड

शोधन

भारतीय कंपनियाँ जिन्हें शोधन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों के पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्वचालित मार्ग के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा एफसीसीबी के पुनर्वित्त के आवेदनों पर विचार किया जाए। तदनुसार, पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय कंपनियों को बकाया एफसीसीबी की पुनर्वित्त की अनुमति दे सकते है -

(i) नए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/एफसीसीबी की उगाही निर्धारित औसत परिपक्वता अवधि से की जाए और वर्तमान ईसीबी दिशानिर्देशों के अनुरूप संपूर्ण लागत पर लागू की जाए।

(ii) नए ईसीबी/एफसीसीबी की राशि, बकाया एफसीसीबी की परिपक्वता पर बकाया शोधन मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(iii) नए ईसीबी/एफसीसीबी की उगाही बकाया एफसीसीबी की परिपक्वता की तारीख से 6 महीने पूर्व नहीं होनी चाहिए।

(iv) ईसीबी/एफसीसीबी का प्रयोजन रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त करते समय फार्म 83 में 'बकाया एफसीसीबी का शोधन' स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

(v) पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को निधि के अंतिम उपयोग पर निगरानी रखनी चाहिए।

(vi) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ईसीबी नीति के अन्य सभी पहलुओं जैसेकि पात्र उधारकर्ता, प्रतिष्ठित उधारदाता, अंतिम उपयोग, समय-पूर्व भुगतान, वर्तमान ईसीबी का पुनर्वित्त और रिपोर्ट करने की व्यवस्था अपरिवर्तीत रहेंगी।

(vii) वर्तमान एफसीसीबी के शोधन के प्रयोजन के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक ईसीबी/एफसीसीबी का अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा; और

(viii) वर्तमान बकाया एफसीसीबी के पुनर्वित्त के प्रयोजन के लिए प्रयोग किए गए ईसीबी/एफसीसीबी की गणना वर्तमान मानदण्डों के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत उपलब्ध 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के एक भाग के रूप में की जाएगी।

वर्तमान परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन वाले एफसीसीबी के पुनर्वित्त की अनुमति नहीं है। तथापि, परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन न होने वाले एफसीसीबी के पुनर्वित्त के प्रस्तावों पर प्रस्ताव की गुणवत्ता के आधार पर अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

नीति की समीक्षा उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थितियों और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर एक उपयुक्त समय पर की जाएगी। यह सुविधा 4 जुलाई 2011 से लागू की गई है।

पुर्नखरीद/पूर्व भुगतान

एफसीसीबी की समय पूर्व पुर्नखरीद पर वर्तमान नीति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि ऐसी सुविधा की समय सीमा बढ़ाई जाए

और कार्यप्रणाली को उदार बनाया जाए। तदनुसार, दोनों स्वचालित और अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा एफसीसीबी की पुर्नखरीद के लिए आवेदनों पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा:

स्वचालित मार्ग

पदनामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारतीय कंपनियों को एफसीसीबी की समय पूर्व पुर्नखरीद की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं -

(i) एफसीसीबी का पुर्नखरीद मूल्य, बही मूल्य पर 8 प्रतिशत के न्यूनतम बट्टे पर होना चाहिए।

(ii) पुर्नखरीद के लिए प्रयोग की गई निधियाँ भारत (ईईएफसी खाते में धारित निधियों सहित) अथवा विदेश में धारित वर्तमान विदेशी मुद्रा निधियों में से होनी चाहिए और/अथवा वर्तमान ईसीबी मानदण्डों के अनुरूप उगाही गई नई ईसीबी से होनी चाहिए; और

(iii) जहाँ नया ईसीबी मूल एफसीसीबी की बकाया परिपक्वता के साथ उसी अवधि में है और 3 वर्ष से कम है समग्र लागत सीमा अल्पावधि उधारों पर लागू 6 महीना लिबोर + 200 आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य मामलों में ईसीबी के संबंधित परिपक्वता के लिए समग्र लागत 22 अक्टूबर 2008 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में दिए गए अनुसार लागू होगी।

अनुमोदन मार्ग

भारतीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अपने आंतरिक उपचय में से प्रति कंपनी शोधन मूल्य का 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक एफसीसीबी की पुर्नखरीद की अनुमति दी जाएगी बशर्ते:

(i) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर तक शोधन मूल्य के लिए बही मूल्य के 10 प्रतिशन की न्यूनतम छूट;

(ii) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से 75 मिलियन अमरीकी डॉलर तक शोधन मूल्य के बही मूल्य के 15 प्रतिशत की न्यूनतम छूट; और

(iii) 75 मिलियन अमरीकी डॉलर से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक शोधन मूल्य के बही मूल्य के 20 प्रतिशत की न्यूनतम छूट

8 दिसंबर 2008 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में निर्धारित अन्य शर्तें लागू होना जारी रहेगा। यह सुविधा 30 जून 2011 से लागू हुई है और 31 मार्च 2012 तक पुर्नखरीद की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों का निर्गम

भारत सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) योजना के सरकारी मार्ग के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों/अधिमान शेयरों के निर्गम के लिए विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की है। अब यह निर्णय लिया गया है कि लेनदेन की विभिन्न श्रेणियों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) योजना के सरकारी मार्ग के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों/अधिमान शेयरों के निर्गम की अनुमति दी जाए:

(1) निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूँजीगत वस्तुओं/मशीनरी/उपकरण (पुरानी मशीनरी सहित) का आयात:

(क) विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा यथा अधिसूचित भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात/आयात नीति और आयात के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत जारी विनियमों के अनुसार भारत में किसी निवासी द्वारा विनिर्मित पूँजीगत वस्तुओं, मशीनरी आदि के आयात;

(ख) किसी तृतीय पक्ष संस्था अधिमानत: ऐसे आयातों के उचित मूल्य के आकलन के प्रति सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के साथ आयातक देश के किसी स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा पूँजीगत वस्तुओं/मशीनरी/उपकरण (पुरानी मशीनरी सहित) स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है;

(ग) आवेदन में स्पष्ट रूप से आयातक कंपनी के साथ-साथ समुद्रपारीय संस्था के हिताधिकारी स्वामित्व और पहचान का उल्लेख होना चाहिए;

(घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पूँजीगत वस्तुओं के लिए आयात भुगतान के ऐसे परिवर्तन वस्तुओं की लदान की तारीख से 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(2) निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन परिचालन-पूर्व/निगमन-पूर्व व्यय (किराया आदि के भुगतान सहित):

(क) व्यय की गई राशि के लिए समुद्रपारीय प्रवर्तकों द्वारा निधियों के विप्रेषण हेतु विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआइआरसी) की प्रस्तुति;

(ख) सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा निगमन-पूर्व/परिचालन-पूर्व व्ययों का सत्यापन और अभिप्रमाणन;

(ग) विदेशी निवेशकों द्वारा कंपनी को सीधे भुगतान किया जाए। कोई बैंक खाता नहीं रहने अथवा ऐसे किसी कारण को उद्धृत करने वाले तृतीय पक्षों के माध्यम से किए गए भुगतान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रति शेयरों के निर्गम के लिए पात्र नहीं होंगे; और

(घ) विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत इक्विटी के बदले अग्रिम के धारण के लिए अनुमत 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूँजीकरण पूरा किया जाए।

परिवर्तन के लिए सभी अनुरोधों के साथ कंपनी का एक विशेष संकल्प शामिल रहना चाहिए। सरकारी अनुमोदन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा समुचित कर-भुगतान के अधीन होगा।

दिनांक 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना की अनुसूची 1 के अनुसार कोई भारतीय कंपनी स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी वाले भारत से बाहर के निवासी प्रदाता को तथा प्रवेश मार्ग, क्षेत्रीय सीमा, मूल्यांकन दिशानिर्देशों और लागू कर-कानूनों के अनुपालन जैसे कतिपय शर्तों के अधीन भुगतान के लिए बाकी रॉयल्टी/एकमुश्त शुल्कों के बदले इक्विटी शेयरों/अधिमान शेयरों का निर्गम कर सकती है।

अनिवासी संस्थाओं के लिए सुरक्षा सुविधा

कारोबारी लेनदेन में भारतीय रुपए के अधिकतम उपयोग को सुविधा प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी आयातकों और निर्यातकों को भारत से निर्यात और भारत में आयात के संबंध में भारत के प्राथमिक व्यापरी श्रेणी I बैंकों के पास भारतीय रुपए में बीजक के रूप में रखी गई उनकी मुद्रा जोखिम के बचाव की अनुमति दी जाए। रिज़र्व बैंक द्वारा 21 जुलाई 2011 को इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफइडीएआइ) और बाजार सहभागियों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निम्नानुसार प्रतिदर्श I अथवा प्रतिदर्श II का विकल्प दे सकते है:

प्रतिदर्श I

अपने समुद्रपारीय बैंक (भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं सहित) के माध्यम से व्यापार करने वाले अनिवासी निर्यातक/आयातक

- अनिवासी निर्यातक/आयातक रुपए में बीजक किए गए पुष्टिकृत आयात अथवा निर्यात ऑर्डर से उभरे अपने रुपया निवेश की सुरक्षा के लिए अनुरोध के साथ उपयुक्त दस्तावेज़ों सहित अपने समुद्रपारीय बैंकर से संपर्क करता है।

प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

- इसके बाद समुद्रपारीय बैंक, ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ो के साथ अपने ग्राहक के निवेश की सुरक्षा करने के लिए एक मूल्य पर भारत में अपने प्रतिनिधि (अर्थात् भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक) से संपर्क करेगा। इससे भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक यह संतोष व्यक्त कर सकता है कि आधारभूत व्यापार लेनदेन (स्केन की गई प्रतियाँ स्वीकार होगी) हुआ है। ग्राहकों से निम्नलिखित वचन लेना भी आवश्यक है : (i) कि वही आधारभूत निवेश भारत में अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास सुरक्षित नहीं किया गया है; और (ii) यदि आधारभूत निवेश रद्द किया जाता है तो ग्राहक तुरंत सुरक्षित किए गए संविदा को रद्द कर देगा।
- भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंक से एक बारगी दस्तावेज़ के रूप में ग्राहक केवाइसी का प्रमाणन भी अंत में लिया जा सकता है।
- भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक को समुद्रपारीय प्रतिनिधि से प्राप्त दस्तावेज़ो के आधार पर आधारभूत व्यापार लेनदेन के अस्तित्त्व के बारे में अपने आप को संतुष्ट करना चाहिए और समुद्रपारीय बैंक को वायदा मूल्य (कोई दुतरफा भाव नहीं दिया जाना चाहिए) प्रस्ताव देना चाहिए जो आगे चलकर अपने ग्राहक को वही प्रस्ताव देगा। अत: प्राधिकृत व्यापारी बैंक समुद्रपारीय आयातक/निर्यातक के साथ सीधे व्यापार 'नहीं' करेगा।
- सुरक्षा की राशि और अवधि आधारभूत लेनदेन से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रतिलाभ के भुगतान/वसूली की अवधि के संबंध में वर्तमान नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
- निर्धारित तारीख को निपटान संबंधित बैंक के 'वोस्ट्रो' अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक के 'नोस्ट्रो' खाते के माध्यम से किया जाता है।
- एक बार निरस्त की गई संविदा दुबारा जारी नहीं की जाएगी।
- तथापि, संविदाएं अंतर्निहित एक्सपोज़र की परिपक्वता के अधीन परिपक्वता को अथवा उसके पहले प्रारंभ की जा सकती है।
- संविदाओं के निरस्त किए जाने पर लाभों को ग्राहकों के पास इस शर्त के अधीन भेजा जा सकता है कि ग्राहक यह घोषणा उपलब्ध कराएं कि वह संविदा को पुन: शुरू नहीं करने जा रहा है अथवा यह कि यह संविदा अंतर्निहित एक्पोज़र के निरस्तीकरण के कारण निरस्त की गई है।
- यदि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन बढ़ाया जाता है तो दुबारा शुरूआत की एक बार अनुमति अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के विस्तार के आधार पर दी जा सकती है जिसके लिए समुद्रपारीय बैंक द्वारा उपयुक्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाए तथा वही प्रक्रिया अनुपालित की जाए जैसाकि मूल संविदा के लिए की जाती है।

प्रतिदर्श II

भारत के प्राधिकृत व्यापारी बैंक के साथ सीधे कारोबार करने वाले अनिवासी निर्यातक/आयातक

- समुद्रपारीय निर्यातक/आयातक भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास अंतर्निहित लेनदेन के संबंध में वायदा कवर के अनुरोध के साथ संपर्क करता है जिसके लिए एक पूर्व-कारोबार आधार पर समुचित अभिलेख (स्कैन की हुई प्रतियाँ स्वीकार्य होंगी) प्रस्तुत करता है ताकि भारत के प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं को संतुष्ट कर सकें कि इसमें एक अंतर्निहित व्यापारीक लेनदेन है तथा उसके समुद्रपारीय बैंकर, पते आदि के ब्योरे हैं। निम्नलिखित वचन पत्रों को भी ग्राहक से लिए जाने की ज़रूरत है: (i) यह कि वही अंतर्निहित एक्पोज़र भारत में किसी अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास बचाव के रूप में नहीं रखा गया है और (ii) यदि अंतर्निहित एक्पोज़र निरस्त किया जाता है तो ग्राहक बचाव संविदा को तत्काल निरस्त कर देगा।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहक को जाने/धन आशोधन अभिप्रमाणन निर्धारित फार्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्राधिकृत व्यापारी बैंक की भारत से बाहर में उपस्थिति है तो प्राधिकृत व्यापारी अपने बैंक की विदेशी शाखा के माध्यम से अपने ग्राहक को जाने/धन आशोधन का ध्यान रख सकता है।
- प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऋण जोखिम कम करने के लिए समुचित व्यवस्था विकसित कर सकते हैं। ऋण सीमाओं की स्वयं/समुद्रपारीय शाखा द्वारा किए गए ऋण विश्लेषण के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है।
- बचाव की राशि और अवधि अंतर्निहित लेनदेन से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय के भुगतान/वसूली की अवधि से संबंधित विद्यमान विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।
- निर्धारित तारीख को निपटान संबंधित बैंक के वोस्ट्रो अथवा प्राधिकृत व्यापारी बैंक के नोस्ट्रो खाते के माध्यम से किया जाता है। भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खाते में निधियों का ध्यान रखने के बाद ही हिताधिकारी को निधियाँ जारी करें।
- एक बार निरस्त की गई संविदा दुबारा जारी नहीं की जाएगी।
- तथापि, संविदाएं अंतर्निहित एक्सपोज़र की परिपक्वता के अधीन परिपक्वता को अथवा उसके पहले प्रारंभ की जा सकती है।
- संविदाओं के निरस्त किए जाने पर लाभों को ग्राहकों के पास इस शर्त के अधीन भेजा जा सकता है कि ग्राहक यह घोषणा उपलब्ध कराएं कि वह संविदा को पुन: शुरू नहीं करने जा रहा है अथवा यह कि यह संविदा अंतर्निहित एक्पोज़र के निरस्तीकरण के कारण निरस्त की गई है।
- यदि अंतर्निहित व्यापार लेनदेन बढ़ाया जाता है तो दुबारा शुरूआत की एक बार अनुमति अंतर्निहित व्यापार लेनदेन के विस्तार के आधार पर दी जा सकती है जिसके लिए समुद्रपारीय बैंक द्वारा उपयुक्त अभिलेख उपलब्ध कराया जाए तथा वही प्रक्रिया अनुपालित की जाए जैसाकि मूल संविदा के लिए की जाती है।

भुगतान प्रणाली

खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली - संसाधन प्रभार

रिज़र्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अब खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पादों (एनइएफटी, एनइसीएस, आरइसीएस और इसीएस) के संबंध में मूल बैंकों से लक्ष्य बैंकों (उस पर लागू सेवा कर सहित) द्वारा संसाधन प्रभारों की गणना और निपटान समाशोधन गृहों/संसाधन केंद्रों द्वारा की जाएगी। समाशोधन गृहों द्वारा प्रभारों की गणना और निपटान बहुविध नेटिंग पद्धति से की जाएगी। तथापि सेवा कर की गणना बैंकों की सकल देयताओं पर की जाएगी। बैंकों को आवश्यक एमआइएस रिपोर्टें भेजी जाएंगी ताकि वे सरकार को सेवा कर भेज सकें।

समाशोधन गृहों/संसाधन केंद्रों का प्रबंधन करने वाली बैंकों को समाशोधन गृहों/संसाधन केंद्रों को सूचित करना चाहिए कि वे इस कार्य के लिए आवश्यक प्रणाली लागू करें। इस प्रयोजन के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को अद्यतन बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था की समीक्षा 3 महीने बाद की जाएगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।